

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 10.12.2020


—:आदेश:—

राज्य में ग्राम से जिला स्तर तक जन सुनवाई को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:—

1. श्री बुलाकी दास कल्ला,  
मंत्री, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल विभाग।
2. श्री हरीश चौधरी  
मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।
3. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा  
राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक) (स्वतंत्र प्रभार)।
4. डॉ० सुभाष गर्ग  
राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
10/12/2020  
(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव